

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

सुरजन बनाम गिराज वगै०

मुकदमा नं० :-79/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20.05.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनु०। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 13 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 23.05.2024 को पेश हो।</p>	
	23.05.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम दौलतपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 300 रकबा 1.9900 है०, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.0300 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई रथगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ

(ललित मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ